

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग।

पत्रांक :- 9(सू०अधि०)-49/2015 4749 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक-08.9.15

प्रथम अपील संख्या- 02/2015

श्री अशोक कुमार सिंह के प्रथम अपील आवेदन पत्र के आलोक में मामले की द्वितीय सुनवाई दिनांक- 04.09.2015 को की गयी। सुनवाई में वादी अनुपस्थित रहे।

मामले की अगली सुनवाई दिनांक- 15.09.2015 निर्धारित की जाती है।

15/9/15
(सियाशरण पासवान)
संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 9(सू०अधि०)-49/2015 4749 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक-08.9.15

प्रतिलिपि :- श्री अशोक कुमार सिंह, अधिवक्ता, S.D.O. Court Campus, धनबाद, पिन- 826001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

SPEED
POST

उक्त तिथि को उपस्थित हो कर अपना पक्ष प्रस्तुत किया जाय, अन्यथा एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

15/9/15
संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।

ज्ञापांक :- 9(सू०अधि०)-49/2015 4749 /ग्रा०वि०,राँची, दिनांक-08.9.15

प्रतिलिपि :- जन सूचना पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/9/15
संयुक्त सचिव-सह-
प्रथम अपीलीय पदाधिकारी।